

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

63

अधिसूचना

565(11)

सं०सं०—AIDS/Estt/SAC/2006/Bihar State Council on AIDS/...../स्वास्थ्य, पटना, दिनांक— 18.10.13  
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको), स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार, बिहार राज्य में एच०  
आई० वी० एवं एड्स कार्यक्रम से संबंधित नीतियों के निर्धारण एवं इसके सफल संचालन के लिये दिशानिर्देश हेतु मुख्य  
सचिव, बिहार सरकार की अध्यक्षता Bihar State Council on AIDS का गठन निम्नरूपेण किया जाता है:-

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. मुख्य सचिव   | —पदेन अध्यक्ष |
| 2. विकास आयुक्त                                       | —सदस्य        |
| 3. प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग                     | —सदस्य        |
| 4. प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग                | —सदस्य        |
| 5. प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग                        | —सदस्य        |
| 6. प्रधान सचिव/सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग            | —सदस्य        |
| 7. प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | —सदस्य        |
| 8. प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग                     | —सदस्य        |
| 9. प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग                | —सदस्य        |
| 10. प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग             | —सदस्य        |
| 11. प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग        | —सदस्य        |
| 12. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ                   | —सदस्य        |
| 13. 5 स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि                 | —सदस्य        |
| 14. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग                      | —संयोजक       |
| 15. परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति  | —सह-संयोजक    |

2. उपरोक्त परिषद् की बैठक प्रत्येक 6 महीने पर आयोजित की जायेगी, जिसमें निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा की जायेगी—
- 2.1. बिहार राज्य में एच० आई० वी० एवं एड्स कार्यक्रमों से संबंधित नीति निर्धारण एवं दिशा-निर्देश प्रदान करना।
- 2.2. एच० आई० वी० एवं एड्स से संबंधित चुनौतियों के निवारण हेतु बहु-क्षेत्रीय सहयोग से उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना।
- 2.3. एच० आई० वी० एवं एड्स विषय को अपने कार्यक्रमों एवं नीतियों में सम्मिलित करते हुए राज्य में संबंधित विषय के कार्य हेतु सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के सहभागियों की अधिकतम भागीदारी को बढ़ावा देना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

विशेष सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- दिनांक—565(11)

18.10.13

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार, के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- दिनांक—565(11) 18.10.13

प्रतिलिपि:-विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- दिनांक—565(11) 18.10.13

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/शिक्षा विभाग/पंचायती राज विभाग/गृह (विशेष) विभाग/श्रम एवं रोजगार विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/परिवहन विभाग/समाज कल्याण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।